न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(द0प्र0क्षे0),हमीरपुर।
प्रकीर्ण वाद संख्या 194/2025, (330/2025)
राज्य बनाम मुईनुद्दीन उर्फ जुम्मू आदि

धाराः 16 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज
विरोधी क्रियाकलाप(निवारण)अधिनियम 1986
थाना मौदहा, जिला हमीरपुर।

प्रार्थी मुईनुद्दीन उर्फ जुम्मू आदि की ओर से प्रार्थनापत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है–विनम्र निवेदन है कि मुकदमा उपरोक्त श्रीमान् मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा निस्तारण हेतु न्यायालय श्रीमान् जी के समक्ष सन्दर्भित किया गया था। न्यायालय श्रीमान् जी द्वारा गुणदोष के आधार पर दिनांक 30.09.2025 को प्रार्थीगण की कुर्कशुदा सम्पत्ति प्रार्थीगण के हक में अवमुक्त किये जाने का आदेश पारित किया गया है एवं श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर को उक्त आदेश का अविलम्ब का अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया गया था परन्तु 45 दिन से अधिक का समय व्यवतीत हो जाने के बाद भी अब तक श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा प्रार्थीगण की सम्पत्ति, प्रार्थीगण के हक में अवमुक्त नहीं की गयी है, श्रीमान् जी ये प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय श्रीमान् जी के आदेश की अवहेलना है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर से स्पष्टीकरण आख्या तलब करते हुए न्यायालय श्रीमान् जी के आदेश दिनांकित 30.09.2025 का अनुपालन किये जाने हेतु पुनः निर्देशित किये जाने की कृपा करें। महान दया होगी।

प्रार्थिया श्रीमती कल्लो आदि की ओर से इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थियागण उपरोक्त प्रकरण में याचीगण हैं। मुकामी पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण में मुईनुद्दीन उर्फ जुम्मू, सरफुद्दीन उर्फ बुद्धू व आफताब के विरूद्ध 2/3 गैंगस्टर अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया था और इसके बाद जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.07.2023 द्वारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत जुम्मू उर्फ मुईनुद्दीन, सरफुद्दीन उर्फ बुद्धू व आफताब के नाम समस्त चल व अचल सम्पत्ति कुर्क करते हुए प्रार्थिया श्रीमती कल्लो व श्रीमती नर्गिस बानों के साथ साथ श्रीमती नजमा, अजहर, मजहर व तवरेज के नाम की भी समस्त चल व अचल सम्पत्ति को सीज कर दिया गया। जब प्रार्थिया व अन्य लोगों द्वारा धारा 15 गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत अपना लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया तो जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा उक्त अभ्यावेदन को भी अपने आदेश दिनांक 25.06.2025 द्वारा निरस्त कर दिया गया। प्रार्थियागण व अन्य सह याचीगण व अभियुक्तगण द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर श्रीमान् जी के समक्ष धारा 16 गैंगस्टर अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रकरण पर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जो कि माननीय न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 13.10.2025 द्वारा जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा पारित आदेश अन्तर्गत धारा 14(1), 15 गैंगस्टर अधिनियम को निरस्त करते हुए उचित आदेश/माननीय

न्यायालय के आदेश का अनुपालन किये जाने हेतु निर्देशित किया गया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन आज तक नहीं किया गया है। अतः श्रीमान् जी से विनम्र प्रार्थना है कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.10.2025 के प्रकाश में जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा अनुपालन आख्या तलब किये जाने की आज्ञा न्याय हित में प्रदान की जावे। श्रीमान् जी की अति कृपा होगी।

उपरोक्त प्रस्तुत प्रकीर्ण प्रार्थनापत्रों के आलोक में न्यायालय द्वारा जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर से पत्र के माध्यम से दिनांक 02.12.2025 एवं 12.01.2026 में आख्या आहूत की गयी थी, जिस पर जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा दिनांक 14.01.2026 को आख्या प्रस्तुत की गयी कि उपरोक्त प्रकीर्ण वादों में आदेश दिनांक 30.09.2025 एवं 13.10.2025 के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी सम्पत्ति के संबंध में आदेश दिनांक 30.09.2025 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में राज्य की ओर से अपील प्रस्तुत करने हेतु शासन को दिनांक 27.11.2025 को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है जिसके कारण आदेश दिनांक 30.09.2025 व 13.10.2025 का अनुपालन नहीं किया जा सका है। दिनांक 11.03.2026 को राज्य की ओर से प्रस्तुत विशेष लोक अभियोजक गैंगस्टर एक्ट हमीरपुर द्वारा अपनी आख्या में कथन किया गया है कि उपरोक्त प्रकीर्ण वादों में आदेश दिनांक 30.09.2025 व 13.10.2025 श्रीमान् जी द्वारा मुकदमा उपरोक्त में अवमुक्त का आदेश पारित किया जा चुका है। चूँकि अवमुक्त की गयी सम्पत्ति में आदेश दिनांक 30.09.2025 व 13.10.2025 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में राज्य की ओर से अपील प्रस्तुत करने हेतु शासन को दिनांक 27.11.2025 को प्रस्तुत प्रेषित किया जा चुका है जिसके संबंध में जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 14.01.2026 पत्रावली में संलग्न है।

जिला मजिस्ट्रेट की आख्या पर प्रार्थीगण मुईनुद्दीन उर्फ जुम्मू आदि की ओर से आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रकीर्ण वाद सं0 114/2025 व प्रकीर्ण वाद सं0 194/2025 क्रमशः दिनांक 29.03.2025 को व दिनांक 30.06.2025 को श्रीमान् मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा निस्तारण हेतु न्यायालय श्रीमान् जी के समक्ष सन्दर्भित किया गया था। न्यायालय श्रीमान् जी द्वारा गुणदोष के आधार पर प्रकीर्ण वाद सं0 114/2025 व प्रकीर्ण वाद सं0 194/2025 का निस्तारण कर दिनांक 30.09.2025 को प्रार्थीगण की कुर्कशुदा सम्पत्ति प्रार्थीगण के हक में अवमुक्त किये जाने का आदेश पारित किया गया था एवं श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर को उक्त आदेश का अविलम्ब अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया गया था। न्यायालय श्रीमान् जी द्वारा गुणदोष के आधार पर पारित आदेश के उपरान्त 45 दिन से अधिक का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी अब तक श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा प्रार्थीगण की सम्पत्ति प्रार्थीगण के हक में अवमुक्त नही की गयी थी तो प्रार्थीगण ने न्यायालय श्रीमान् जी के समक्ष दिनांक 17.11.2025 को प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया था। न्यायालय श्रीमान् जी ने जिलाधिकारी हमीरपुर को न्यायालय के आदेश का अनुपालन करने हेतु पुनः लिखित निर्देश जारी किया गया था, किन्तु उसके उपरान्त भी कुर्कशुदा सम्पत्ति अवमुक्त नहीं की गयी है, अपितु श्रीमान् जिला

मजिस्ट्रेट हमीरपुर इस आशय की आख्या प्रेषित की गयी है कि उन्होंने न्यायालय श्रीमान् जी के आदेश के विरूद्ध अपील योजित करते हुए शासन का प्रस्ताव प्रेषित किया है। न्यायालय श्रीमान् जी द्वारा पारित आदेश दिनांकित 30.09.2025 माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा स्थगित नहीं है बल्कि न्यायालय श्रीमान् जी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.09.2025 के 90 दिन की समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अपील भी योजित नहीं है। उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण) अधिनिमय 1986 की धारा 15 के अन्तर्गत श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा पारित आदेश का अपीलीय प्राधिकार अधिनियम के धारा 17 के अन्तर्गत श्रीमान् न्यायालय को प्राप्त है। अपीलीय आदेश का श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अविलम्ब पालन किया जाना न्यायिक दृष्टिकोण से आज्ञापक है। उक्त परिस्थितियों में न्यायालय श्रीमान् जी के आदेश का अनुपालन न किया जाना उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 व नियमावली तथा न्यायिक प्रक्रिया के विरूद्ध है व न्यायालय श्रीमान् जी के आदेश दिनांकित 30.09.2025 की प्रत्यक्ष अवहेलना है। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर को न्यायालय श्रीमान् जी के आदेश दिनांकित 30.09.2025 के अनुपालन में कुर्कशुदा सम्पत्ति में अविलम्ब प्रार्थीगण के हक में अवमुक्त किये जाने हेतु आदेश पारित करने की कृपा की जावे। महान दया होगी।

उपरोक्त प्रकीर्ण प्रार्थनापत्रों पर प्रार्थीगण एवं अभियोजन के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों का परिशीलन किया।

न्यायालय द्वारा प्रकीर्ण आपराधिक वाद सं0 194/2025 राज्य बनाम मुईनुद्दीन उर्फ जुम्मू आदि में दिनांक 30.09.2025 व प्रकीर्ण आपराधिक वाद सं0 286/2025 राज्य बनाम मुईनुद्दीन उर्फ जुम्मू आदि में जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर/जिलाधिकारी हमीरपुर द्वारा पारित आदेश संबंधित वाद सं0 **D202307320000473** अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबन्द एवं असमाजिक क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम 1986 में पारित आदेश दिनांकत 09.02.2024 एवं वाद सं0 **D202307320000612** अन्तर्गत धारा 15 गिरोहबन्द एवं असमाजिक क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम 1986 के तत्क्रम में पारित आदेश दिनांकित 22.02.2025 तथा संबंधित वाद सं0 **D202307320000473** अन्तर्गत धारा 14(1) गिरोहबन्द एवं असमाजिक क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम 1986 में पारित आदेश दिनांकत 13.07.2023 एवं वाद सं0 **D202307320000612** अन्तर्गत धारा 15 गिरोहबन्द एवं असमाजिक क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम 1986 के तत्क्रम में पारित आदेश दिनांकित 25.06.2025 निरस्त किये गये हैं तथा प्रार्थीगण के पक्ष में समस्त कुर्कशुदा सम्पत्ति उन्मुक्त की गयी है जिसके संबंध में आदेश की प्रतियां जिला मजिस्ट्रेट हमीरपुर को अनुपालन हेतु न्यायालय द्वारा प्रेषित की गयी थीं। परन्तु जिला

मजिस्ट्रेट द्वारा उक्त आदेश के अनुपालन में कुर्कशुदा सम्पत्ति को अवमुक्त नहीं किया गया। जिला मजिस्ट्रेट ने अपनी आख्या में यह कथन किया है कि उपरोक्त प्रकीर्ण वादों में आदेश दिनांक 30.09.2025 एवं 13.10.2025 के अन्तर्गत अवमुक्त की गयी सम्पत्ति के संबंध में आदेश दिनांक 30.09.2025 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में राज्य की ओर से अपील प्रस्तुत करने हेतु शासन को दिनांक 27.11.2025 को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है जिसके कारण आदेश दिनांक 30.09.2025 व 13.10.2025 का अनुपालन नहीं किया जा सका है। जबकि अदालत द्वारा कोई न्यायिक आदेश पारित कर दिया जाता है तो उसका पालन अनिवार्य है, बशर्ते माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश नहीं दिया जाए। यदि किसी भी माननीय अपीलीय न्यायालय का कोई स्थगन आदेश न हो तब तक अवमुक्त की हुई सम्पत्ति को कुर्क रखने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट या शासन के पास नहीं है। परन्तु यह जानते हुए कि बिना अपीलीय न्यायालय के स्थगन आदेश के किसी सम्पत्ति को अनावश्यक रूप से कुर्क रखना विधि विरूद्ध है।

<u>आदेश</u>

जिला मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, हमीरपुर को आदेशित किया जाता है कि यदि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से स्थगन आदेश प्राप्त नहीं है तो आदेश दिनांक 30.09.2025 एवं आदेश 13.10.2025 का अनुपालन करते हुए कुर्कशुदा सम्पत्ति को अविलम्ब अवमुक्त करना सुनिश्चत करें।

दिनांकः 23.03.2026

(अनिल कुमार खरवार)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(द0प्र0क्षे0),हमीरपुर।